

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री हेमराज

किस्म मुकदमा -53 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्री उंकारलाल

पत्रावली संख्या : 88 / 24

जीसीएमएस : 2024 / 205

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 03.06.2025</p> <p>पत्रावली अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र तलबी मय वाद विद्दो का पेश करने पर तलब की गई। अधिवक्ता वादी को प्रार्थना पत्र विद्दो पर सुना गया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से अधिवक्ता वादी द्वारा उपस्थित होकर नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद को इसी स्तर पर विद्दो किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी को प्रार्थना पत्र वाद विद्दो पर सुना गया तथा प्रार्थना पत्र वाद विद्दो को पढकर अधिवक्ता वादी को सुनाया गया। जिसे सुन समझकर सही होना स्वीकार किया।</p> <p>चूंकि अधिवक्ता वादी अब इस वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद को इसी स्तर पर विद्दो कर खारिज करवाना चाहते हैं। ऐसे में वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाद विद्दो का स्वीकार किया जाकर नया वाद लाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए उक्त वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इसी स्तर पर विद्दो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

